02

GOMS
2021/2
28/9/2022

# फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्री चांकलाराम

हलका सिणधरी

पुत्र श्री खेताराम जाति भील

निवासी– सिणधरी चारणान

**किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 02/वर्ष 2021**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुक्म और तारीख तामिल की |
|---|---|---|
| ~~[illegible]~~ 31-3-2021 | पटवारी हलका सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा सिणधरी चा० के खसरा नंबर 23/90 रकबा 0.8333 हे. किस्म भूमि गै.मु. ~~ओरण~~ पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 16-4-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | |
| 16-4-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29-4-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | द.नि. चांकलाराम 16/4/2021 |
| 29-4-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-5-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | |

13-5-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित।
गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया
जाकर पत्रावली दिनांक 28-5-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

28-5-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित।
गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिये
जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं
किया, गैर सायल को अतिक्रमी मानते
हुए पत्रावली फैसल सुमार हो।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया, पत्रावली फैसल सुमार
होकर नंबर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

वर्ष 2021-22 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 की
पृ.सं. 15 पर क्र.सं. 01 पर जुर्माना/फसल
नीलामी राशि रू. 50/- ... दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

# न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर– 02/2021 संवत:–2078

राजस्थान सरकार जरिये बनाम शंकरलाल वल्द खेताराम

पटवारी हल्का सिणधरी भील निवासी सिणधरी चारणान

## निर्णय

दिनांकः–28-5-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2072 में राजस्व ग्राम सिणधरी चा० के खसरा नम्बर 27/10 में कुल रकबा 5-0-6 बीघा किस्म भूमि गै० मु० [illegible] में से रकबा 5-0-3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलव किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखंली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.0 [illegible] रूपया का राउण्ड अप एक रुपया का 50 गुणा अर्थात 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दपतर दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी